GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

TRANSPORT DEPARTMENT

5/9 Under Hill Road: Delhi-110054

No.F.144/STA/PCO/2010/ Dated: 08.05.2013

PUBLIC NOTICE

ATTENTION:- OWNERS OF PUBLIC SERVICE VEHICLES

This is in continuation of the earlier Public Notice directing the permit holders of Public Service Vehicles to install GPS device in their vehicles from the GPS vendors empanelled with DIMTS. The schedule for installing the GPS devices is revised as under:

- Contract Carriage Buses (including school buses) by **30.6.2013**
- Gramin Sewa Vehicles by **31.7.2013**

Failure to adhere to above directions shall invite action for violation of permit conditions under relevant provisions of the Motor Vehicles Act, 1988.

The number of GPS device vendor has increased to 11. An updated list of the registered GPS devices and their suppliers can be seen on the website **www.dimts.in**

All concerned are hereby advised to ensure compliance of the above said instructions to avoid any penal action by the Enforcement Agencies.

Addl. Commissioner (Tpt)

Helpline - 42-400-400
Website : www.transport.delhigovt.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

परिवहन विभाग

5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली - 110054

सं. एफ.144/एसटीए/पीसीओ/2010/ तिथि : 08.05.2013

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सेवा वाहनों के मालिक ध्यान दें

यह डिम्ट्स के साथ नामिकाबद्ध जीपीएस विक्रेताओं से अपने वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाने के लिए सार्वजनिक सेवा वाहनों के परमिट धारकों को निर्देशित पूर्व सार्वजनिक सूचना की निरंतरता में है। जीपीएस डिवाइस लगाने की अनुसूची निम्नानुसार संशोधित की गई है :

- **30.06.2013** तक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस (स्कूल बसों सहित)
- **31.07.2013** तक ग्रामीण सेवा वाहन

उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के संगत प्रावधानों के तहत परमिट की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

जीपीएस डिवाइस विक्रेताओं की संख्या 11 तक बढ़ा दी गई है। पंजीकृत जीपीएस डिवाइस और उनके आपूर्तिकर्ताओं की अद्यतन सूची वेबसाइट **www.dimts.in** पर देखी जा सकती है।

सभी संबंधित व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए उपरोक्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त आयुक्त (परिवहन)

हेल्पलाइन –42–400–400
वेबसाइट : www.transport.delhigovt.nic.in